दूरभाष:01792-275025
फैक्स :01792-275425

संख्या-सी0बी0एस0/40/1/- 96
कार्यालय छावनी परिषद्,
सुबाथू - 173 206,
जिला-सोलन, हि0प्र0 ,

29 अप्रैल, 2019

<u>सार्वजनिक सूचना ।</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा दिनांक **28-05-2019** का प्रातः **11:30 बजे** छावनी परिषद्, सुबाथू के कार्यालय में सर्वे नं0 83 (घासनी) के घास की 31 मार्च, 2020 तक के लिए नीलामी की जायेगी:-

2. उपरोक्त निलामी के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या-सी0बी0एस0/75/1/-95 दिनांक 29-4-19 में लिखी गई सभी शर्तें समान रूप से लागू होंगी ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद्,सुबाथू

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी, कसौली/डगशाई/जुतोग ।
   -कृप्या उपरोक्त की मुनादी अपने छावनी क्षेत्र में करवा दें ।

2. वन-रक्षक, छावनी परिषद्, सुबाथू ।
   - कृप्या उन सभी इच्छुक व्यक्तियों तथा जो प्राय: घास खरीदते हैं, उनको सूचित करें तथा उन सभी व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवाएं ।

3. सफाई निरीक्षक, छावनी परिषद्, सुबाथू
   -कृप्या उपरोक्त की मुनादी लाउडस्पीकर द्वारा समस्त छावनी क्षेत्र में करवाएं ।

4. समस्त निर्वाचित सदस्य, छावनी परिषद्, सुबाथू - सूचनार्थ हेतु ।

5. नीलामी रजिस्टर ।

6. समस्त सूचना पट्ट (कार्यालय सूचना पट्ट सहित) ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद्,सुबाथू

दूरभाष:01792-275025
फैक्स :01792-275425

संख्या-सी0बी0एस0/75/1/- 95
कार्यालय छावनी परिषद्,
सुबाथू - 173 206,
जिला-सोलन, हि0प्र0 ,

29 अप्रैल, 2019

सार्वजनिक सूचना ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा दिनांक **28.05.2019** को प्रातः **11:30 बजे** छावनी परिषद्, सुबाथू के कार्यालय में छावनी वन के निम्नलिखित टुकड़ों (कम्पार्टमैन्ट) के घास की 31 मार्च, 2020 तक के लिए नीलामी की जायेगी:-

क्रम सं0	कं0सं 0	सर्वेक्षण संख्या	स्थिति	क्षेत्र
01.	1	84	किले के निचली तरफ नाले की उत्तरी ढलान की तरफ (सहायक दुर्ग अभियन्ता, सैनिक अभियांत्रिक सेवा के कार्यालय से चांदमारी की तरफ जाने वाली सड़क के नीचे)	11.17 एकड़
02.	2	85	कं0नं0 1 के उत्तर की तरफ (नर्सरी के प्लाट के मोड़ से शुरू होते हुए और एम0ई0एस0 की सड़क जो चांदमारी की ओर जाती है की निचली ओर से)	33.2 एकड़
03.	3	15	कं0नं0 2 के परिश्चम की तरफ (एम0ई0एस0) की सड़क और बंगला नं0 10 के नीचे की ओर)	8.05 एकड़
04.	4	14	कं0नं0 3 के उत्तर में लगता हुआ (एम0ई0एस0) की सड़क और कब्रिस्तान से नीचे की ओर तथा नाला जो कं0 3 और 4 को अलग-अलग बांटता है)	18.22 एकड़
05.	5	13, 13क, 13ख	क0नं0 4 के साथ और इसके उत्तर पश्चिम की तरफ चांदमारी के इर्द गिर्द तथा एम0ई0एस0 की सड़क के नीचे की ओर ।	5.63 एकड़
06.	6	11	कं0नं0 5 के उपर की तरफ और इसके उत्तर की तरफ (एम0ई0एस0) सड़क जो चांदमारी की तरफ जाती है उसके उपर की तरफ और एम0ई0एस0 की मुख्य सड़क जो कि एम0ई0एस0 कार्यालय की तरफ को जाती है उसके नीचे की ओर ।	9.66 एकड़
07.	7	5	कं0नं0 6 के उत्तर की तरफ तथा पुराने कुष्ठाश्रम बंगला नं0 1 के नीचे की ओर से जाते हुए कुष्ठाश्रम की तरफ जाने वाले नाले तक ।	9.75 एकड़
08.	8	4	कं0नं0 7 के साथ और इसके उत्तर-पश्चिम की तरफ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 2 से 6 तक बंगला नं0 1 के नीचे वाले नाले तक तथा नए कुष्ठाश्रम की तरफ जो छावनी सीमा से बाहर है ।	7.95 एकड़
9.	9	8	पुराने कुष्ठाश्रम से नीचे कं0नं0 8 के टीले के विपरीत रड़ियाणा गांव की तरफ, छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 56 से 59 और स्तम्भ संख्या 1 से 2 तक ।	11.58 एकड़
10.	10	9	कं0नं0 9 के साथ और इसके दक्षिण की तरफ छावनी सीमा स्तम्भ 49 से 56, से उपर की तरफ, कब्रिस्तान से बंगला नं0 1 को जाने वाली सड़क से नीचे की तरफ ।	14.12 एकड़
11.	11	10	कं0नं0 10 के साथ तथा इसके दक्षिण की तरफ, बंगला नं0 3 के इई-गिर्द, बंगला संख्या 7, 9 के नीचे की तरफ और छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 46 से 49 से उपर की तरफ और रड़ियाणा की तरफ जाने वाली सड़क के उपर की तरफ ।	12.87 एकड़

क्रमशः ...पृष्ठ ... 2...पर...

12.	12 एवं 13	33	रड़ियाणा की तरफ जाने वानी सड़क से नीचे की ओर तथा कं0सं0 11 के दक्षिण की तरफ कं0नं011 और 12 के दक्षिण-पूर्व की ओर बंगला नं058 क तथा बंगला नं0-58 ख के नीचे की ओर छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 42 से 46 तक ।	19.15 एकड़
13.	14	86	कं0नं0 2 के नाले के विपरीत वाली ढलान सैनिक वधशाला से नीचे की ओर तथा छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 9 और 10 से उपर की तरफ ।	20.41 एकड़
14.	15	87	कं0नं0 14 के साथ तथा इसके दक्षिण की तरफ नाला जो कि सर्वे नं0 84 के साथ कं0नं0 14 और कं0नं0 1 को काटता है, उससे उपर की तरफ ।	14.64 एकड़
15.	16	88	सर्वे नं0 83 की घासनी के नीचे ।	11.07 एकड़
16.	17	16	कब्रिस्तान से चांदमारी को दर्शाने वाले बोर्ड से लेकर मिशन आवासों तक तथा टीले का उपरी भाग ।	5.03 एकड़
17.	18	10	चंदमारी को दर्शाने वाले बोर्ड से लेकर मिशन आवासों तक तथा टीले का उपरी भाग ।	2.77 एकड़
18.	19	43	कं0नं0 17 के साथ और इसके दक्षिण में, सीमा स्तम्भ 37 से 40 तक, अफसर मैस के नीचे की तरफ तथा गिरजाघर की तरफ ।	12.72 एकड़
19.	20	142	कं0नं0 19 के साथ, इसके दक्षिण में और दक्षिण-पूर्व की तरफ छावनी सीमा स्तम्भ 31 से और 37 से उपर की ओर, लकड़ी के गोदाम वाले नाले के नजदीक ।	13.80 एकड़
20.	21	143	कं0नं0 20 के साथ तथा इसके दक्षिण-पश्चिम की तरफ, धर्मपुर को जाने वाली सड़क के नीचे की ओर छावनी सीमा स्तम्भ 29 से 31, बैरक नं0 15 की तरफ से उपर की ओर ।	13.06 एकड़
21.	22	148 153	छावनी सीमा स्तम्भ सं0 22 से 29 से उपर की तरफ, बगीचा, धर्मपुर की तरफ जाने वाली सड़क के साथ बगीचे से नाले तक ।	08.10 एकड़
22.	23	107	कं0नं0 22 के साथ काफी बड़ा हिस्सा सैनिक अस्पताल की निचली ढलानों के इर्द-गिर्द तथा इसके पश्चिम दक्षिण और पूर्व की तरफ तथा एक उत्तर की ओर जाने वाला एक तंग रास्ता जो कि पाईप लाईन सड़क तक खत्म होता है उसकी तरफ वीर योद्धा द्वार जो धर्मपुर सड़क पर है तथा छावनी सीमा स्तम्भ नं0 4 से 22 तक से उपर की तरफ ।	11.33 एकड़
23.	24	107	सैनिक अस्पताल से उपर की ओर की पहाड़ी ढलानों का पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी हिस्सा सड़क के निचली तरफ लोहे के टैंक से लेकर वन कार्यालय तक ।	17.85 एकड़
24.	25	106	कं0सं0 23 के साथ लगता हुआ काफी बड़ा हिस्सा तथा इसके उत्तर की तरफ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नीचे की ढलानों तथा छावनी सीमा स्तम्भ संख्या-12 से 14 से उपर की तरफ ।	33.38 एकड़

2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को इस कार्यालय में पहले 1000/-रूपये धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने होंगे अन्यथा वह सार्वजनिक नीलामी में बोली नहीं बोल सकेगा । यह धरोहर राशि उन व्यक्तियों को वापिस कर दी जायेगी, जो अपनी बोली में असफल रहेंगे और जो व्यक्ति बोली में सफल हो जायेंगे, उनकी बोली की राशि में इस धरोहर राशि का समायोजन कर दिया जायेगा ।

क्रमशः ...पृष्ठ ... 3...पर...

3. अधिकतम बोली देने वाले को बोली की समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी समय कार्यालय में जमा करवानी पड़ेगी। अन्यथा उसकी 1000/-रूपये की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। बाकी 50 प्रतिशत राशि बोली की बोर्ड द्वारा पुष्टि करने के 10 दिनों के अन्दर जमा करवानी होगी।

4. यदि छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा किसी की बोली अस्वीकृत की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा जमा करवाई गई सारी राशि उसे बिना किसी ब्याज़ के वापिस कर दी जायेगी।

5. अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति को छावनी परिषद्, सुबाथू के साथ उपयुक्त मूलय का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, जो कि उसी ही व्यक्ति द्वारा अपने आप लाना होगा, करारनामा (एग्रीमैन्ट) करना पड़ेगा।

6. यह नीलामी तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता। छावनी परिषद्, सुबाथू को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी की भी बोली अस्वीकार कर सकता है। प्रत्येक कम्पार्टमैन्ट की नीलामी अलग-अलग की जायेगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी को अधिकार है कि वह पूरे वन क्षेत्र को एक ही बार में नीलाम कर सकता है।

7. घास काटने के अधिकार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो जायेंगे।

8. घास की नीलामी से सम्बन्धित ऊपरलिखित शर्तों के अलावा यदि कोई अन्य शर्त होगी तो वह नीलामी प्रारम्भ होने से पहले सुना दी जायेगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद्, सुबाथू

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी, कसौली/डगशाई/जुतोग।
-कृप्या उपरोक्त की मुनादी अपने छावनी क्षेत्र में करवा दें।

2. वन-रक्षक, छावनी परिषद्, सुबाथू।
- कृप्या उन सभी इच्छुक व्यक्तियों तथा जो प्राय: घास खरीदते हैं, उनको सूचित करें तथा उन सभी व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवाएं।

3. सफाई निरीक्षक, छावनी परिषद्, सुबाथू
-कृप्या उपरोक्त की मुनादी लाउडस्पीकर द्वारा समस्त छावनी क्षेत्र में करवाएं।

4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, छावनी परिषद्, सुबाथू
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. समस्त निर्वाचित सदस्य, छावनी परिषद्, सुबाथू - सूचनार्थ हेतु।

6. नीलामी रजिस्टर।

7. समस्त सूचना पट्ट (कार्यालय सूचना पट्ट सहित)।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद्,सुबाथू